गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

Organised Crime

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

संगठित अपराध

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Unmasking the Shadows: Taking on Organised Crime

♦ Cracking Down on Organised Crime: A New Chapter in the Criminal Justice System

- A dedicated section has been introduced in Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 to combat organised crime, ensuring no room for unlawful activities orchestrated by syndicates, which pose a grave threat to the internal security of the country.
- Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 defines organised crime and targets a range of offences including kidnapping, robbery, cyber-crimes, and more.
- Offences which were either not clearly defined or non-existent in the previous statute have been introduced in Section 112(petty organised crime), which clearly includes offences such as snatching, shoplifting, betting or gambling and selling examination papers.
- Activities committed individually or by organised crime syndicates, using violence, threats, or coercion are now punishable offences.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

परछाइयों को उजागर करना: संगठित अपराध पर प्रहार

संगठित अपराध पर नकेल कसना : न्याय में एक नया अध्याय

- संगठित अपराध से निपटने के लिए एक समर्पित धारा, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले सिंडिकेट द्वारा संचालित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं करता है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध और कई अन्य अपराधों को लक्षित किया जाता है।
- जो अपराध या तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे या पिछले कानून में मौजूद नहीं थे, उन्हें एक अलग धारा 112– (छोटे संगठित अपराध) के रूप में रखा गया है, जो स्पष्ट रूप से इसे स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी या जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराधों में परिभाषित करता है।
- व्यक्तिगत रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का उपयोग करके की गई गतिविधियां अब दंडनीय हैं।

♦ Economic Offences Defined: Safeguarding Financial Integrity

- "Economic Offences" now include a spectrum of crimes such as criminal breach of trust, forgery, hawala transactions, mass-marketing fraud, and schemes to defraud several persons or banking/financial institutions.

♦ Stringent Punishment to Deter Offenders

- In case the offence leads to loss of life, the perpetrator shall face either death penalty or life imprisonment, coupled with a mandatory fine of not less than ₹10 lakh. Additionally, there are provisions for individuals aiding in the commission of organised crimes, along with appropriate punishments.

♦ Tough Provisions for Proclaimed Offenders

- Forfeiture as a Consequence: The proclaimed offenders would be penalised through forfeiture of their properties.
- Trial in Absentia: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 allows courts to conduct trials of proclaimed offenders even in their absence.

आर्थिक अपराध हुए परिभाषितः वित्तीय अखंडता की रक्षा

- 'आर्थिक अपराधों' में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी, और व्यक्तियों या बैंकिंग/वित्तिय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं।

अपराधियों को रोकने के लिए कड़ी सजा

- यदि अपराध के कारण जीवन की हानि होती है, तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का अनिवार्य जुमार्ना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिए उचित दंड के प्रावधान मौजूद हैं।

घोषित अपराधियों के लिए सख्त प्रावधान (पी.ओ.)

- परिणामस्वरूप जब्तीः घोषित अपराधियों को उनकी संपत्ति जब्त करके दंडित किया जाएगा।
- अनुपस्थिति में मुकदमाः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।